

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-219/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सौरभ कुमार निराला, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौली, नवादा के द्वारा दिनांक-17.09.2020 से 01.06.2021 तक अध्ययन हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-17.09.2020 से 31.05.2021 तक	-	अध्ययन अवकाश को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में।)
ii.	दिनांक-01.06.2021	-	असाधारण अवकाश के रूप में

2. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-219/2025- 559(2) पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौली, नवादा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/डा० सौरभ कुमार निराला, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौली, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।